लारी/वरि/3404
21/8/20

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्याः–1632 /सत्तर–3–2020–08(36)/2020

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

जारी
22/08/2020

सेवा में,

1 **निदेशक**
उच्च शिक्षा
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. **कुल सचिव**
समस्त राज्य विश्वविश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2020**

विषयः– "उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति–2020" के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य सरकार की "उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति–2020" अधिसूचना संख्या–813/78–1–2020–25/2012, दिनांक 15.07.2020(छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रख्यापित की गयी है। "उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति–2020" में उल्लिखित निम्नलिखित बिन्दु उच्च शिक्षा से सम्बन्धित है, जिस पर विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:–

8.2 शैक्षिणिक हस्तक्षेप द्वारा नवाचार को बढावा

8.2.1 विश्वविद्यालय पाठ्यकम

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश में स्टार्ट अप संस्कृति की सुदृढ़ता हेतु नोडल संस्था के परामर्श से नवाचार और उद्यमिता पाठ्यकम आरम्भ किए जायेंगे। इन्हें सहयुक्त विद्यालयों द्वारा भी अंगीकृत किया जायेगा।

8.2.2 विद्यालय पाठ्यकम

भावी स्टार्टअप उद्यमियों के सृजन हेतु छात्रों की औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भिक चरण में उद्यमशीलता के प्रति रूझान विकसित करने के लिए विद्यालयों के पाठ्यकम में नवाचार और उद्यमिता पर बुनियादी शिक्षा आरम्भ की जायेगी।

8.2.3 फैकल्टी विकास कार्यकम

महाविद्यालय स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, फैकल्टी विकास कार्यकमों का आयोजन करेंगे।

8.2.4 छात्रों हेतु अन्तराल वर्ष

जो छात्र उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते है, उन्हें स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यकम के प्रथम वर्ष के पश्चात एक वर्ष का अवकाश (अन्तराल वर्ष) लेने की अनुमति दी जायेगी। पाठ्यकम की पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकतम अवधि में एक वर्ष का अन्तराल की गणना नहीं की जायेगी। पाठ्यकम की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए "अन्तराल वर्ष" सुविधा को पाठ्यकम में पुनः सम्मिलित होते समय दिया जा सकता है।

R.O. Rai Sir p.c

8.2.5 छात्र परियोजनायें

किसी स्टार्ट अप अवधारणा पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को डिग्री की पूर्णता हेतु अपनी स्टार्ट अप परियोजना को अपने अन्तिम वर्ष की परियोजना के रूप में बदलने की अनुमति दी जायेगी।

8.2.6 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई–प्रकोष्ठ की स्थापना

विद्यालय स्तर के छात्रों को अपना उद्यम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई–प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना।

8.9 स्टार्टअप ईको–सिस्टम के एंकर के रूप में इन्क्यूबेटर्स

प्रस्तर–8.9 के अनुसार, विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी जो कुल नीतिगत लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत हो।

8.10 ब्राण्ड प्रोमोशन तथा प्रतिभाग का सम्मान

प्रस्तर–8.10 के अनुसार नवाचारी प्रौद्योगिकीय समाधनों की पहचान हेतु हैकाथॉन का आयोजन, बूट कैम्प्स एवं स्टार्ट–अप–इवेन्टस् का आयोजन किया जाना।

8.1.1 उ0प्र0 स्टार्टअप ऑनलाइन प्लेटफार्म

प्रस्तर 8.1.1 के अनुसार आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, मेन्टर्स तथा अन्य प्रासंगिक स्टार्टअप हितधारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु उ0प्र0 स्टार्टअप ऑनलाइन प्लेटफार्म बनाया गया है जो सिंगल–विन्डो सिस्टम है। विभाग द्वारा जिन इन्क्यूबेटर्स को चिन्हित अथवा विकसित किया जाएगा उन्हें इस ऑनलाइन पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जाना होगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति–2020" के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओ पर अनुपालन करते हुए अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या–: 1632 (1) /सत्तर–3–2020, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2– आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

R.O. Rai Sir p.c